प्रेस नोट 08.04.2021

गैंगेस्टर एक्ट में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सुशील घुले के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 08.04.2021 को थाना **रानीपुर** पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान खुरहट से मु0अ0सं0 26/21 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त विनोद यादव पुत्र अम्बिका यादव निवासी मिरवापार दौलसेपुर थाना रानीपुर जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया। उल्लेखनीय है कि उक्त गिरफ्तार अभियुक्त विनोद यादव थाना रानीपुर को हिस्ट्रीशीटर अपराधी (हिस्ट्रीशीट नम्बर 12 ए) है तथा यह अवैध शराब कारोबार में संलिप्त है जिसके विरूद्ध जनपद के विभिन्न थानों पर कुल 16 अभियोग पंजीकृत है।

एक जिलाबदर अपराधी गिरफ्तार–

आज दिनांक 08.04.2021 को थाना **कोपागंज** पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान एक जिलाबदर अपराधी हबीब अहमद पुत्र जमाल अहमद निवासी हकीमपुरा थाना कोपगंज जनपद मऊ को गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 115/21 धारा 10 गुण्डा अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

70 लीटर अवैध कच्ची/अपमिश्रित शराब बरामद, 04 गिरफ्तार–

दिनांक 07.04.2021 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना **घोसी** पुलिस द्वारा गौरीडीह के पास से राजेश उरांव पुत्र मणु उरांव, अर्जुन उरांव पुत्र रामकिशुन उरांव निवासीगण कैमु पताटोला जनपद लोहरदगा झारखण्ड के कब्जे से तीन जरिकेन में 40 लीटर अवैध अपमिश्रित शराब व शराब बनाने के अन्य उपकरण बरामद किया गया, हीरा पुत्र रामकिशुन निवासी धरौली थाना घोसी के कब्जे से 10 लीटर अवैघ कच्ची शराब, थाना **दोहरीघाट** पुलिस द्वारा रसूलपुर के पास से जुगुनु पुत्र गोबरी निवासी पारिखपुर थाना दोहरीघाट जनपद मऊ के कब्जे से एक जरिकेन में 20 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त के विरूद्ध थाना सम्बन्धित पर आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

05 अभ्यासतन अपराधियों के विरूद्ध की गयी जिलाबदर की कार्यवाही–

आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत जनपद में कानून व व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सुशील घुले की रिपोर्ट पर जिलाधिकारी मऊ अमित सिंह बंसल द्वारा 05 अभ्यासतन अपराधियों के विरूद्ध जिलाबदर की कार्यवाही की गयी है जिनका विवरण निम्नवत है–

1. सौरभ पुत्र रामसदर निवासी मोहरवापुर थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ (06 माह)
2. राजकुमार चौहान पुत्र अन्तलाल चौहान निवासी मानिकपुर जमीन हाजीपुर थाना घोसी जनपद मऊ (06 माह)
3. सन्तोष साहनी पुत्र हीरा साहनी निवासी पतनई बुजुर्ग थाना दोहरीघाट जनपद मऊ (06 माह)
4. विनोद पुत्र चन्द्रबली निवासी चिस्तीपुर थाना कोपागंज जनपद मऊ (06 माह)
5. सूरज कुमार पुत्र शिवधनी निवासी गोपालपुर निस्की थाना मधुबन जनपद मऊ (06 माह)